404

क्रमांक : प. 3 / (196) /नवि 3 /83

जयपुर, दिनांक 12.1.2002

आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)

महोदय,

राजस्थान आवासन मण्डल, नगर विकास न्यासो एव जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ए.डी.बी. द्वारा वित्त पोषित राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना तथा नगर पालिका, नगर निगम एवं नगर परिषद् द्वारा फायर ब्रिगेड / ठोस अपशिष्ठ निष्पादन परियोजना तथा अन्य अनुसंगिक कार्य के लिये भूमि की मांग की जाती है किन्तु इसके लिये किसी विशिष्ट दर का प्रावधान नहीं होने के कारण इन संस्थाओं द्वारा वांछित भूमि उपलब्ध करवाने में कठिनाई होती है। अतः राज्य सरकार इस कठिनाई के निराकरण हेतु राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम की धारा 90 जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 60 एवं राजस्थान नगर विकास न्यास (नगरीय भूमियों का निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 29/31 के अंतर्गत यह निर्देश देती है कि राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना की परियोजनाओ, स्थानीय निकायों के अग्निशमन केन्द्रो, ठोस अपशिष्ट निष्पादन परियोजना तथा अन्य अनुसंगिक कार्यो के वास्ते मांग करने पर आवासन मण्डल, नगर विकास न्यास एवं जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करवाई जावेगी। इस भूमि पर कोई लीज राशि देय नहीं होगी।

शासन सचिव

❋ ❋ ❋

(237)